लोकसभा 2019

आम आदमी पार्टी

दिल्ली घोषणा पत्र

ले कर रहेंगे पूर्ण राज्य

दिल्ली घोषणा पत्र

आप
आम आदमी पार्टी

विषय-सूची

I. अरविंद केजरीवाल का संदेश 03

II. हमारा वादा : दिल्ली को बनाएंगे पूर्ण राज्य 05

III. पूर्ण राज्य के मायने 06

IV. पूर्ण राज्य- प्रमुख क्षेत्रों में आधारभूत बदलाव

1. शिक्षा 10
2. स्वास्थ्य 12
3. महिला सुरक्षा 14
4. पुलिस सुधार 16
5. भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली 18
6. रोज़गार 20
7. ज़मीन और मकान 22
8. सीलिंग से बचाव 24
9. साफ़-सफ़ाई 26
10. प्रदूषण 28
11. परिवहन 30
12. यमुना का कायाकल्प 32

V. विश्व की प्रमुख राष्ट्रीय राजधानियों के साथ दिल्ली की तुलना : एक लोकतान्त्रिक त्रासदी ... 34

VI. पूर्ण राज्य का अब तक का सफ़र 35

मैं हूँ आम आदमी
मुझे चाहिए

अरविंद केजरीवाल

मुख्यमंत्री आवासः
6, फ्लैग स्टाफ रोड, सिविल लाइन्स,
नई दिल्ली-110054

प्यारे दिल्लीवासी!

देश की राजधानी होने के बावजूद हमारी दिल्ली साफ़-सुथरी क्यों नहीं है? हमारी दिल्ली में महिलायें सुरक्षित क्यों नहीं है? 90% नंबर आने पर भी बच्चों को कालेज में एडमिशन क्यों नहीं मिलता? युवा बेरोज़गार क्यों हैं? कच्ची कालोनिया पक्की क्यों नहीं होती? दिल्ली में इतने बड़े स्तर पर सीलिंग क्यों हो रही है?

इन सब सवालों का एक ही जवाब है - क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली सरकार को हर काम करने के पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। और केंद्र सरकार हर काम में अड़ंगा लगाती है। इसके अलावा दिल्ली वालों की रोजमर्रा की समस्याओं से संबंधित विभाग जैसे दिल्ली पुलिस, डीडीए, एमसीडी सीधे केंद्र सरकार के अधीन है। इनमें दिल्ली वालों की बिलकुल नहीं चलती। इसका एक ही समाधान है - अन्य राज्यों की तरह दिल्ली को भी पूरा राज्य बनाया जाये। सारी सरकारी संस्थायें चुनी हुई सरकार के अधीन होनी चाहिए।

दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी तो दिल्लीवालों के कई सपने पूरे होंगे। जैसे महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा मिल सकेगी, दिल्ली की क़ानून व्यवस्था सुधरेगी। युवाओं को रोज़गार मिलेगा। बारहवीं में 60% से ज़्यादा नंबर वाले हर बच्चे को कालेज में दाख़िला मिलेगा। दिल्ली में सींलग बंद होगी। हर दिल्लीवासी का अपना घर होगा। कच्ची कालोनियाँ पक्की की जायेंगी। दिल्ली साफ-सुथरी और सुंदर होगी। दिल्ली का तेज़ी से विकास होगा।

तमाम अड़चनों के बावजूद आपकी सरकार ने दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी इत्यादि क्षेत्रों में ढेरों काम किये। हमने जो वादे किये, सभी पूरे किये। पूर्ण राज्य बनने पर ऊपर लिखी सारी बातें पूरी होंगी।

भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां वादा करती रहीं कि वे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगी। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के पहले खुद दिल्ली को पूर्ण राज्य देने की मांग की थी। पर दोनों पार्टियों ने दिल्ली के लोगों से धोखा किया। आम आदमी पार्टी आपकी अपनी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के लोकसभा में सांसद जायेंगे तो इस बार पक्का दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाकर ही रहेंगे। मेरी अन्य कई पार्टियों से भी बात हो गई है। अन्य सभी पार्टियां भी इस मांग का समर्थन करती हैं।

आज तक आप प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोकसभा चुनावों में वोट देते रहे। इस बार अपनी दिल्ली को पूरा राज्य बनाने के लिए वोट दें। इतिहास और भगवान जिंदगी में एक बार मौका देते हैं। दिल्ली को इस बार मौका मिला है। इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दें ताकि दिल्ली को पूरा राज्य बनाया जा सके।

सादर सहित,

(अरविंद केजरीवाल)

झाड़ू

हमारा वादा : दिल्ली को बनाएंगे पूर्ण राज्य

देश की राजधानी होने के बावजूद आज दिल्ली में आम आदमी की ज़िंदगी दोयम दर्जे की रह गयी है। देश के किसी भी अन्य हिस्से का निवासी वोट देता है तो उसके वोट की पूरी ताक़त होती है। वह अपने वोट से अपने लिए पूरी राज्य सरकार चुनता है। लेकिन दिल्ली का आम आदमी जब वोट देता है, तो वह एक आधी-अधूरी सरकार चुनता है। आख़िर आज़ादी के सत्तर सालों बाद भी दिल्ली के आम आदमी को अपने वोट से अपनी पूरी सरकार चुनने का अधिकार क्यों नहीं मिला? ऐसा क्यों है कि दिल्ली के बच्चों को स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय चाहिए, तो उसे केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। जबकि बाक़ी राज्यों में नए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय उसकी चुनी हुई सरकार बनाकर देने के लिए स्वतंत्र है। इसी तरह नौकरी, महिला सुरक्षा, सस्ते घर और व्यापार की सुविधाएँ जैसे तमाम मुद्दों के लिए दिल्ली के आम आदमी को केंद्र सरकार की तरफ़ देखना पड़ता है। वह इन सब कामों के लिए अपनी राज्य सरकार क्यों नहीं चुन सकता? इसकी वजह यह है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। दुनिया के तमाम देशों की राष्ट्रीय राजधानियों में लोगों की चुनी हुई सरकार को सब अधिकार मिले हुए हैं। हमारे देश की राजधानी के साथ ही ऐसा क्यों है कि दिल्ली का एक आम नागरिक छोटे से छोटे कामों के लिए भी तीन-चार सरकारों के पास भटकने के लिए मजबूर है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के आम आदमी को इस जंजाल से निकालने का संकल्प लिया है। आम आदमी पार्टी का वादा है कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे।

दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा (2016) में बिल पास किया। इसमें यह प्रस्ताव किया गया है कि नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व से जुड़े संस्थानों (जो NDMC के अंतर्गत आते हैं) को केंद्र के नियंत्रण में रखा जाए। गौरतलब यह है कि दिल्ली के इस इलाक़े में सिर्फ 3 फ़ीसदी आबादी रहती है। पूर्ण राज्य का प्रस्ताव दिल्ली के बाकी हिस्सों पर ही लागू होगा।

आम आदमी पार्टी 2019 का लोकसभा चुनाव दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के मक़सद से लड़ रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के सातों लोकसभा सांसदों, देश के अन्य तमाम अपने सांसदों और तीनों राज्यसभा सांसदों के ज़रिए दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने के लिए संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष करेगी। आम आदमी पार्टी देशभर के उन तमाम राजनीतिक दलों, जो दिल्ली की जनता से भावनात्मक लगाव रखते हैं और दिल्ली के आम आदमी को उसके वोट का पूरा हक़ दिलवाने पर सहमति रखते हैं, उन सबको साथ लेकर संसद में यह सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए।

पूर्ण राज्य के मायने

पूर्ण राज्य होने पर दिल्ली सरकार का निम्नलिखित चार चीजों पर नियंत्रण हो जाएगा-

1. ज़मीन 2. कानून और व्यवस्था 3. पुलिस 4. निर्णय लेने की प्रक्रिया और अधिकारियों पर नियंत्रण

इन शक्तियों के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली के निवासियों के लिए निम्नलिखित सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होगी-

ज़मीन

चूंकि संविधान के तहत, दिल्ली में ज़मीन आरक्षित विषय के तहत है, इसलिए इसका नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है। इसी वजह से डीडीए केंद्र के अधीन काम करता है। जिससे दिल्ली सरकार को दिल्ली की ज़मीन का आवासीय और व्यावसायिक तौर पर समुचित उपयोग करने का अधिकार नहीं है। ज़मीन दिल्ली सरकार के अधीन आने पर विभिन्न क्षेत्रों में इसका बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा, जैसे कि:

शिक्षा :

- ☐ सैकड़ों स्कूलों और कॉलेजों के लिये ज़मीन आवंटित की जायेगी, जिससे दिल्ली में रहने वाले 3 से 18 साल (नर्सरी से 12वीं) तक के सभी बच्चों के लिए नियमित स्कूली शिक्षा की गारंटी होगी।
- ☐ दिल्ली के स्कूलों से बारहवीं में 60 फ़ीसदी से अधिक नंबर लाने वाले हर बच्चे को कॉलेज में प्रवेश दिलाने की गारंटी होगी।

स्वास्थ्य :

- ☐ हर एक किलोमीटर पर मोहल्ला क्लीनिक बनायी जाएगी, ताकि हर घर को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिल सके।
- ☐ वर्तमान अस्पतालों में बेड बढ़ाने के साथ-साथ नये अस्पताल बनाये जायेंगे, जिससे हज़ारों नये बेडों की व्यवस्था की जा सकेगी।

आवास:

- ☐ अगले 10 सालों में दिल्ली में रहने वाले प्रत्येक परिवार का अपना घर होगा।
- ☐ दिल्ली की सभी अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा।

परिवहन :

- ☐ अतिरिक्त नई बसों के लिए डिपो और टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा।
- ☐ अतिक्रमण मुक्त और बेहतर डिज़ाइन युक्त सड़कों का निर्माण एवं रख रखाव करेंगे।

कानून और व्यवस्था

- ☐ महिलाओं के लिए दिल्ली को देश का सबसे सुरक्षित शहर बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। महिलाओं पर होने वाले सभी अपराधों का ट्रायल 'फास्ट ट्रैक कोर्ट' से किया जाएगा।
- ☐ अपराधों की सज़ा दर बेहतर की जाएगी, खास तौर से महिला अपराध- जिसकी वर्तमान सज़ा दर मात्र 19 फ़ीसदी है।
- ☐ दिल्ली के किसी भी इलाक़े से फ़ोन करने पर 5 मिनट के अंदर पीसीआर वैन पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी।
- ☐ भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने के लिए हम 'एंटी करप्शन ब्रांच' को फिर से लाएँगे, जैसा हमने 49 दिनों की अपनी पहली सरकार में किया था।

पुलिस

- दिल्ली पुलिस को जनता के प्रति जवाबदेह बनाएँगे। आम पब्लिक से डील करने वाले हर पुलिसकर्मी को 'बॉडी कैमरा' से लैस किया जाएगा। साथ ही पुलिस थाने के हर कोने पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा।
- दिल्ली पुलिस में खाली पड़े लगभग दो तिहाई पद 33 फ़ीसदी महिला आरक्षण को सुनिश्चित करते हुए भरे जाएंगे।
- आधुनिक पुलिसिंग के लिए पुलिस बल को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण एवं सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
- 'प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ'-2006 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित पुलिस सुधारों को लागू करने की दिशा में कारगर क़दम उठाए जाएँगे।

निर्णय लेने की प्रक्रिया और अधिकारियों पर नियंत्रण

जबकि भारत के संविधान के अनुसार सिर्फ तीन विषयों- ज़मीन, पुलिस और कानून-व्यवस्था पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है, पर इसके विपरीत भाजपा शासित केंद्र सरकार ने अधिकारियों एवं अन्य विषयों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया भी अपने हाथ में ले रखी है। पूर्ण राज्य के बाद आम आदमी पार्टी इन चुनौतियों से इस प्रकार निपटेगी-

- दिल्ली पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित तमाम अन्य विभागों में खाली पड़ी 2 लाख से अधिक रिक्तियों को तुरन्त भरा जायेगा। जिसमें दिल्ली के लोगों के लिए 85 फ़ीसदी सीटें आरक्षित होंगी।
- सरकारी कामकाज़ में भ्रष्टाचार को लेकर 'ज़ीरो-टालरेंस' की नीति अपनाई जाएगी।
- अखिल भारतीय सेवाओं के अलावा अन्य स्तरों पर चयन के लिए 'दिल्ली लोक सेवा आयोग' का गठन किया जायेगा।
- पिछले चार सालों में दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित 18 से अधिक विधेयक केंद्र सरकार की सहमति के इंतज़ार में हैं। पूर्ण राज्य के बाद राज्य सूची में वर्णित किसी भी विषय पर दिल्ली विधानसभा द्वारा कानून पारित करने पर केंद्र से सहमति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूर्ण राज्य मिलते ही-
    - जन-लोकपाल बिल समेत सभी 14 बिल जो केंद्र सरकार की सहमति के लिए लंबित पड़े हैं, उन्हें लागू किया जायेगा।
    - एक 'मॉडल मोहल्ला सभा बिल' लाया जाएगा, जो आम आदमी के लिए असल में विकेन्द्रीकरण और स्वराज लाएगा।
    - दिल्लीवासियों के लिए नर्सरी से कक्षा 12 वीं (उम्र 3 से 18) तक की अनिवार्य और मुफ़्त शिक्षा की गारंटी देने वाला बिल लाया जाएगा।

मैं हूँ आम अ

पूर्ण राज्य :
प्रमुख क्षेत्रों में
आधारभूत बदलाव

शिक्षा

आम आदमी पार्टी के लिए शिक्षा सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। दिल्ली सरकार का शिक्षा बजट 26 फ़ीसदी है, जो देश के बाकी राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। पिछले चार सालों में दिल्ली सरकार ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार किए हैं। लेकिन सभी बच्चों को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करने के लिए जिस प्रकार के इन्फ्रा-स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उसे पूर्ण राज्य के बिना पूरा कर पाना संभव नहीं है। दिल्ली सरकार के पास ज़मीन और शिक्षकों की स्थाई नियुक्ति करने का अधिकार का न होना इसमें सबसे बड़ी रुकावट है।

पूर्ण राज्य के बिना हमने जो किया

- 2015 में दिल्ली सरकार के स्कूलों में कुल 24,157 कक्षाएँ थीं। केंद्र सरकार की तमाम रुकावटों के बावजूद दिल्ली सरकार ने 8,213 नए क्लासरूम बनाए हैं। नवंबर 2019 तक 12,748 और नए क्लासरूम बनकर तैयार हो जाएँगे।
- सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए फिनलैंड, सिंगापुर, ब्रिटेन जैसे देशों में भेजा गया, ताकि दिल्ली के बच्चे भी विश्वस्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सकें।
- विशेष पहल के द्वारा बच्चों की सीखने की बुनियादी क्षमताओं को सुदृढ़ करने का सफ़ल प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त हैप्पिनेस पाठ्यक्रम, एंतरपेन्योरशिप पाठ्यक्रम और संवैधानिक मूल्यों पर कैम्पेन के द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है।
- स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (SMC) के तहत पहली बार बच्चों के माता-पिता को स्कूल संचालन में शामिल किया गया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हर तीन महीने पर मेगा 'पैरेंट-टीचर मीटिंग' (PTM) हो रही है।
- दिल्ली में पहली बार पिछले 3 सालों से लगातार सरकारी स्कूलों के 12 वीं के रिज़ल्ट प्राइवेट स्कूलों के मुक़ाबले बेहतर रहे हैं।
- 12 वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली के बच्चों को 10 लाख रुपए तक 'गारंटी फ्री लोन' की व्यवस्था की गई।

पूर्ण राज्य के बाद हम जो करेंगे

- **शिक्षा के अधिकार का विस्तार-** राज्य सरकार नया कानून लाएगी, जिसके तहत दिल्ली के हर बच्चे को नर्सरी से लेकर 12वीं तक अनिवार्य और विश्वस्तरीय शिक्षा मुफ़्त में पाने का अधिकार मिलेगा। जिससे हर बच्चा एक खुशहाल, आत्मनिर्भर व सजग नागरिक बन सके।
- **कॉलेज एजुकेशन का अधिकार-** 12वीं में 60 फ़ीसदी से अधिक नंबर पाने वाले दिल्ली के सभी छात्रों को कॉलेज में बतौर रेगुलर स्टूडेंट एडमिशन मिलेगा।
- **कॉलेज एडमिशन में दिल्ली के छात्रों के लिए आरक्षण-** प्रत्येक कॉलेज में 85 फ़ीसदी सीटें दिल्ली के छात्रों के लिए आरक्षित होंगी।
- **शैक्षणिक सुविधाओं और शिक्षकों की संख्या का विस्तार-** शिक्षा के नए कानून के मानकों के तहत अतिरिक्त स्कूल और कॉलेज बनाए जाएँगे एवं पर्याप्त संख्या में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
- **गेस्ट शिक्षकों का स्थायीकरण-** दिल्ली सरकार के स्कूलों में वर्तमान में कार्यरत सभी गेस्ट शिक्षकों को स्थायी किया जाएगा।
- **मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा का विस्तार-** नए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों के द्वारा लगभग 10 हज़ार सीटों की बढ़ोत्तरी की जाएगी।
- **200 प्वाइंट रोस्टर लागू करेंगे-** उच्च शिक्षण संस्थानों में 200 प्वाइंट (विश्वविद्यालय एवं कॉलेज) रोस्टर लागू किया जाएगा।

स्वास्थ्य

आम आदमी पार्टी सभी दिल्लीवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 4 साल में दिल्ली का स्वास्थ्य बजट दोगुने से भी ज़्यादा किया गया है। दिल्ली सरकार अपने कुल बजट का 13 फ़ीसदी स्वास्थ पर खर्च कर रही है, जबकि देश के बाकी राज्यों का स्वास्थ बजट औसतन 5 फ़ीसदी है। देश में पहली बार किसी भी शहर में 'यूनिवर्सल हेल्थ केयर' के तहत दिल्ली में 'तीन-स्तरीय स्वास्थ्य सेवा' लागू की जा रही है, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा के लिए मोहल्ला क्लीनिक, द्वितीयक चिकित्सा के लिए पॉली क्लीनिक और सघन चिकित्सा के लिए विशिष्ट सरकारी अस्पताल शामिल हैं। लेकिन इसके संचालन में केंद्र की भाजपा सरकार अनेक बाधाएँ खड़ी कर रही है। पूर्ण राज्य बनने पर दिल्ली के लोगों को इन मुश्किलों से निजात मिलेगी, जिससे वे दिल्ली राज्य सरकार की तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर तरीक़े से लाभ ले पाने में सक्षम होंगे।

पूर्ण राज्य के बिना हमने जो किया

- हर मुहल्ले में निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक चिकित्सा के लिए 'आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक' की परिकल्पना की गई थी। इसके तहत अब तक दिल्ली में कुल 189 मोहल्ला क्लीनिक काम कर रहे हैं। जिसकी संख्या 2020 तक बढ़कर 1000 हो जाएगी।
- दिल्ली के सभी सरकारी क्लीनिक और अस्पतालों में सबके लिए इलाज़ निःशुल्क है, जिसमें दवाएँ और जाँच भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 30 दिन के भीतर आवश्यक सर्जरी न हो पाने की स्थिति में दिल्ली सरकार मरीज का इलाज़ पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पताल में मुफ़्त कराती है।
- आप सरकार ने बड़े पैमाने पर चिकित्सा के क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार किया। 2015 तक दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बेडों की संख्या 7,226 थी, जो पिछले 4 सालों में 10,000 के पार जा चुकी है। इसके अलावा दिल्ली में 5 नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद यह आंकड़ा 13,819 हो जाएगा।
- दिल्ली सरकार सड़क दुर्घटना में घायल लोगों का निकटतम प्राइवेट अस्पताल में निःशुल्क इलाज़ कराती है, जिसके तहत अब तक 3000 से ज़्यादा लोगों का इलाज़ हो चुका है।

पूर्ण राज्य के बाद हम जो करेंगे

- **मोहल्ला क्लीनिक का विस्तार-** दिल्लीवासियों को उनके घर के पास प्राथमिक चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए हर 1 कि.मी. पर मोहल्ला क्लीनिक खोलेंगे।
- **हॉस्पिटल सेवाओं का विस्तार-** दिल्ली में मौजूद वर्तमान अस्पतालों एवं नए अस्पतालों के निर्माण के ज़रिए बड़े पैमाने पर बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
- **डॉक्टर और पैरा-मेडिकल स्टाफ़ की नियुक्ति-** दिल्ली की चिकित्सा सेवाओं के सुचारु संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में डॉक्टर और पैरा-मेडिकल स्टाफ़ की नियुक्ति की जाएगी।
- **एकीकृत स्वास्थ्य व्यवस्था-** नगर-निगमों पर नियंत्रण के बाद अलग-अलग स्वास्थ्य सेवाओं को एक छत के नीचे ले आएंगे।

महिला सुरक्षा

दिल्ली में महिला सुरक्षा आम आदमी पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रही है। 2007 से 2016 तक महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 83 फ़ीसदी की भयानक वृद्धि हुई है। दिल्ली आज भारत की आपराधिक राजधानी बन गयी है, जहां अपराध दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में दोगुने से भी ज़्यादा है। इस दशक में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों की सज़ा दर मात्र 19 फ़ीसदी रही है। महिलाएं, जो देश की आधी आबादी हैं, उनके सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह ज़रूरी है कि सरकार परिवर्तनकारी कदम उठाए। पूर्ण राज्य बनने पर दिल्ली पुलिस दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधीन आएगी, जिससे महिला सुरक्षा के मामले में सकारात्मक एवं प्रभावी परिवर्तन किए जाएंगे।

पूर्ण राज्य के बिना हमने जो किया

- दिल्ली की गलियों और सार्वजनिक जगहों पर हर विधानसभा क्षेत्र में दो हजार के हिसाब से पूरी दिल्ली में 1.4 लाख CCTV कैमरा लगाने का काम चल रहा है।
- दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के अधिकार के लिए आप सरकार ने 'दिल्ली महिला आयोग' (डीसीडबल्यू) को प्रभावी बनाया है। दिल्ली महिला आयोग ने पिछले 3 साल में 50,000 से अधिक मामले निपटाए हैं, जो पुराने महिला आयोग के 8 साल के रिकॉर्ड की तुलना में 700 फ़ीसदी से भी अधिक की वार्षिक बढ़ोतरी है।
- डीसीडबल्यू के तहत 'महिला पंचायत' ज़मीनी स्तर पर सामाजिक विवादों के समाधान में भूमिका निभाते हुए एक इनोवेटिव संगठित कदम के रूप में उभरी है। आज दिल्ली में लगभग 90 से अधिक महिला पंचायतें सक्रिय हैं।
- 2500 से अधिक डीटीसी बसों में 'बस मार्शल' की नियुक्ति की गई है, अन्य बाकी बसों में भी उनकी नियुक्ति की जा रही है। सभी सरकारी बसों में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन और जीपीएस ट्रैकिंग की व्यवस्था लागू करने का प्रोजेक्ट चल रहा है।

पूर्ण राज्य के बाद हम जो करेंगे

- **दिल्ली पुलिस में 33 फ़ीसदी महिला आरक्षण-** दिल्ली पुलिस में महिलाओं की 33 फ़ीसदी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। महिला पुलिस कर्मियों को 'ऐक्टिव पुलिसिंग' की भूमिका में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करने की कोशिश की जाएगी।
- **महिला सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल-** महिलाओं के खिलाफ़ होने वाले अपराधों पर तुरंत और मजबूत कार्यवाही के लिए नियमित प्रक्रिया और व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। उन्हें दृढ़ता से लागू किया जाएगा और जनता तक पहुंचाया जाएगा, जिससे कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के मामले में रिपोर्टिंग कर जनता में विश्वास बनाया जा सके।
- **प्रत्येक पुलिस स्टेशन में CAW सेल-** प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर CAW (Crime Against Women) सेल बनाया जाएगा, जिसमें हर शिफ्ट के लिये विशेष ट्रेनिंग वाले जाँच अधिकारी और काउंसलर्स की तैनाती की जायेगी। इस सेल में पीड़ित को कानूनी सहायता देने का भी प्रबंध होगा।.
- **फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट-** 50 फास्ट ट्रैक्स कोर्ट की स्थापना की जायेगी जिससे महिलाओं पर होने वाले अपराधों के मामलों का तेजी से ट्रायल हो सके।
- **जेंडर सेंसिटाइज़ेशन ट्रेनिंग-** पुलिसकर्मियों में जेंडर सेंसिटाइज़ेशन के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और पुलिस को यौन अपराधों से निपटने की विशेष ट्रेनिंग दी जायेगी।
- **अपराध की रोकथाम-** सजा के साथ-साथ अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस को सुदृढ़ किया जाएगा। लैंगिक भेदभाव वाले अपराधों में कमी लाने और कानूनी जागरूकता बढ़ाने के मुद्दे पर पुलिस और समाज को एक साथ लाकर परिवर्तनकारी कैम्पेन चलाये जाएंगे। स्वयं सेवियों के निरंतर प्रशिक्षण के द्वारा कॉम्युनिटी पुलिसिंग को विकसित किया जायेगा।
- **नियमित सुरक्षा ऑडिट-** सार्वजनिक जगहों पर मोहल्ला समितियों के साथ मिलकर पुलिस के द्वारा समय-समय पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के लिए सेफ्टी रिव्यू और ऑडिट किए जाएंगे। सार्वजनिक जगहों जैसे बस अड्डा, मेट्रो स्टेशन, ऑटो स्टैंड पर महिला पुलिस कर्मियों की नियमित पेट्रोलिंग का प्रबंध किया जाएगा।

पुलिस सुधार

भारतीय संविधान के तहत पुलिस राज्य का विषय है, लेकिन दिल्ली में पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। दिल्ली के लोगों के प्रति दिल्ली पुलिस की जवाबदेही न होने के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपराध की स्थिति बहुत तेजी से ख़राब हुई है। आज दिल्ली में अपराध की दर पूरे देश में सबसे ज़्यादा है, जबकि सजा की दर केवल 52 फ़ीसदी है। दिल्ली के पूर्ण राज्य बनने पर आम आदमी पार्टी, दिल्ली पुलिस को दिल्ली के लोगों के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह बनाएगी। साथ ही पेशेवर और गुणवत्तापूर्ण पुलिसिंग के लिए नए मानक स्थापित करेगी। 'प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ-2006' में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित पुलिस सुधार को लागू किया जाएगा।

पूर्ण राज्य के बाद हम जो करेंगे

- **पुलिस बल में रिक्त पदों की भर्ती:** दिल्ली पुलिस दो तिहाई से अधिक खाली पड़े पदों के कारण पुलिस कर्मियों की कमी से जूझ रही है। आम आदमी पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि सभी खाली पदों को महिलाओं के 33 फ़ीसदी आरक्षण के साथ जल्द से जल्द भरा जाए।
- **पीसीआर वैन का रिस्पांस टाइम अधिकतम 5 मिनट किया जाएगा:** पुलिस पेट्रोलिंग की संख्या बढ़ाने के साथ साथ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विभिन्न क्षेत्रों में आबादी के अनुपात के लिहाज से पीसीआर वैन उपलब्ध हो। पूरी दिल्ली में किसी भी शिकायतकर्ता के पास 5 मिनट के अंदर पीसीआर वैन पहुंचेगी।
- **विश्वस्तरीय पुलिस ट्रेनिंग:** पुलिसिंग की आधुनिक तकनीक एवं पुलिस बल को और अधिक सक्षम बनाने के लिए समय-समय पर विश्ववस्तरीय ट्रेनिंग दी जाएगी।
- **पुलिस के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण:** पुलिस व्यवस्था को आधुनिक करने के लिए अलग से पर्याप्त मात्रा में फंड की व्यवस्था की जाएगी। पुलिस बल के बेहतर ट्रेनिंग और काम करने लिए अच्छी कार्य परिस्थितियों को सुनिश्चित किया जाएगा ताकि वे बिना तनाव के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें।
- **पारदर्शिता और कुशलता:** हम जनता के साथ पुलिस के व्यवहार के मामले में बेहतर पारदर्शिता लाने की व्यवस्था करेंगे। पुलिसकर्मियों को 'पुलिस बॉडी कैमरा' से लैस किया जाएगा और पुलिस स्टेशनों के सभी हिस्सों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
- **जन भागीदारी:** आम आदमी पार्टी की सरकार थाने के स्तर पर स्थापित नागरिक समितियों को फिर से पुनर्जीवित करेगी। जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों, आरडब्लूए, महिला संगठनों और अन्य लोगों की भागीदारी होगी ताकि पुलिस तथा स्थानीय समुदायों के बीच आपसी तालमेल और बेहतर समझ स्थापित हो सके।

भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली

आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से हुआ है। भ्रष्टाचार को लेकर पार्टी का नज़रिया 'ज़ीरो-टालरेंस' का है। हमारा स्पष्ट मानना है कि जनता के टैक्स का एक-एक पैसा उसकी बेहतरी के लिए खर्च किया जाना चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार के पहले कार्यकाल में एंटी करप्शन ब्रांच के जरिये भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की गयी। 2015 में हमारी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कुछ महीनों के भीतर ही केंद्र सरकार के द्वारा 'एंटी करप्शन ब्रांच' छीन लिया गया। पूर्ण राज्य बनने के बाद 'एंटी करप्शन ब्रांच' दिल्ली सरकार के अधीन होगा। हम दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

पूर्ण राज्य के बिना हमने जो किया

- 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के कुछ ही महीनों के भीतर एंटी करप्सन ब्रांच द्वारा 30 गिरफ्तारियाँ की गयीं। भाजपा शासित केंद्र सरकार द्वारा जबर्दस्ती एंटी करप्सन ब्रांच लेने के बाद अगले तीन सालों में मात्र 5 गिरफ्तारियाँ की गयीं।
- आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के एक साल के भीतर दिल्ली विधानसभा में जन-लोकपाल बिल पास किया गया, परंतु केंद्र सरकार ने अभी तक इस बिल को मंजूरी नहीं दी।
- दिल्ली सरकार द्वारा 40 सेवाओं के साथ 'डोर-स्टेप डिलीवरी' की शुरुआत की गई, जिसमें 30 और सेवाएँ जल्दी ही जोड़ दी जाएंगी। इस योजना से न सिर्फ दिल्लीवासियों के समय, श्रम और पैसे की बचत हो रही है बल्कि भ्रष्टाचार पर भी रोक लगी है।
- 2017 की CVC की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ़ भ्रष्टाचार से संबन्धित शिकायतों में 81 फ़ीसदी की गिरावट आई है।
- आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में प्राइवेट स्कूल माफ़िया, लैंड माफ़िया, वॉटर माफ़िया और उनके भ्रष्टाचार के पूरे तंत्र को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है।
- शिक्षा के अधिकार कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों में EWS कोटे के ज़रिये होने वाले दाख़िले की धांधली को खत्म कर पारदर्शी कंप्यूटराइज़ लॉटरी सिस्टम को लागू किया गया।

पूर्ण राज्य के बाद हम जो करेंगे

- **जन-लोकपाल बिल-** जन-लोकपाल बिल पास कर दिल्ली को सबसे मजबूत और प्रभावी लोकपाल दिया जाएगा। जिसकी ज़द में हर अधिकारी, मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे।
- **एंटी करप्शन ब्रांच-** पूर्ण राज्य मिलते ही एंटी करप्शन ब्रांच की कमान हमारे पास आ जाएगी। हम अपनी पहली 49 दिनों की सरकार की तरह दिल्ली में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने में कामयाब होंगे।
- **नागरिक अधिकार पत्र-** एक नया नागरिक अधिकार-पत्र (सिटीजेन चार्टर) बनाया जाएगा, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के ऐसे व्यवहार एवं गतिविधियों को सूची बद्ध किया जाएगा जो भ्रष्टाचार की श्रेणी में गिने जाएँगे।
- **समयबद्ध सेवा का अधिकार-** हम एक नया कानून बनाएँगे जिसके तहत नागरिकों को समयबद्ध सेवा का अधिकार मिलेगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा न दे पाने की स्थिति में संबन्धित अधिकारियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

रोज़गार

भारत को युवा देश कहा जाता है क्योंकि हमारी 65 फ़ीसदी आबादी 35 साल से कम उम्र की है। लेकिन आर्थिक कुप्रबंधन की वजह से आज देश डेमोग्राफिक डिविडेंट की बजाय डेमोग्राफिक डिजास्टर की ओर बढ़ रहा है। भाजपा सरकार की नोटबंदी और जीएसटी जैसी जनविरोधी नीतियों की वजह से न सिर्फ छोटे और मझोले व्यापारियों के उद्योग चौपट हुए हैं बल्कि भारी मात्रा में लोगों से रोज़गार छीने गये हैं। हालात यह है कि वर्तमान बेरोजगारी का स्तर पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के युवाओं को रोज़गार देने के लिए कई महत्त्वपूर्ण क़दम उठाए हैं, जिससे वो अपना जीवन गरिमापूर्ण तरीके से जी सकें। पूर्ण राज्य बनने पर सेवाओं और नियुक्तियों का अधिकार दिल्ली सरकार को मिलेगा। जिससे वर्तमान में केंद्र सरकार की उदासीनता के चलते 2 लाख से अधिक खाली पड़े पदों को भरा जा सकेगा और इसके साथ-साथ नए रोज़गार का सृजन भी किया जा सकेगा।

पूर्ण राज्य के बिना हमने जो किया

- आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली मे चार बड़े और कई छोटे-छोटे रोज़गार मेले का आयोजन किया है, जिसके ज़रिए 36,000 से अधिक युवाओं को रोज़गार मिला है।
- दिल्ली सरकार ने सभी श्रेणी के मज़दूरों के गरिमापूर्ण जीवन के लिए न्यूनतम मज़दूरी को बढ़ाया। ख़ास तौर से अकुशल श्रेणी में इस राशि को 9,500 से बढ़ा कर 14,000 किया है।
- आम आदमी पार्टी की सरकार स्वरोज़गार के उद्देश्य से दिल्ली में ऑटो रिक्शा के लिए लोन की सुविधा मुहैय्या कराती है, जिसके तहत अब तक 10 हज़ार नए परमिट दिये जा चुके हैं। इसके अलावा हमारी सरकार ई-रिक्शा पर 30 हज़ार रुपए की सब्सिडी देती है जो पूरे देश में कहीं नहीं दी जाती।
- दिल्ली सरकार के स्कूलों के लिए 5 हज़ार से ज़्यादा नए गेस्ट शिक्षकों की नियुक्ति की गई। साथ ही इनकी तनख्वाह 22,500 से बढ़ाकर 36,000 किया गया।
- दिल्ली पटरी विक्रेता योजना एवं नियम के तहत लगभग 4 लाख पटरी विक्रेताओं को रोज़गार करने के उनके बुनियादी हक़ को सुनिश्चित किया।

पूर्ण राज्य के बाद हम जो करेंगे

- **2 लाख सरकारी नौकरियों पर भर्ती:** दिल्ली में पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विभागों में खाली पड़े लगभग 2 लाख से अधिक पदों पर अगले 1 साल के भीतर स्थायी नियुक्तियाँ होंगी, जिनमें 85 फ़ीसदी पद दिल्ली वालों के लिए आरक्षित होंगे।
- **DSSSB में सुधार-** 'दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग' की कार्यशैली में सुधार किया जाएगा, ताकि वह विभिन्न विभागों में स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया 6 महीनों में पूरी कर सके।
- **'दिल्ली लोक सेवा आयोग' का गठन-** राज्य स्तरीय अधिकारियों की सेवा शर्तें, नियुक्ति प्रक्रिया का निर्धारण और चयन के लिए 'दिल्ली लोक सेवा आयोग' का गठन किया जाएगा।
- **उद्यमिता और डिजिटल स्किल केंद्र-** दिल्ली को 'नॉलेज पार्क' और 'स्टार्ट अप सेंटर' की राजधानी के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके ज़रिए नए उद्यमियों को न सिर्फ आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी, बल्कि उन्हें उद्योग के लिए जगह भी मुहैया कराई जाएगी।

ज़मीन और मकान

संविधान के अनुसार, ज़मीन राज्य का विषय है लेकिन दिल्ली की ज़मीन दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है। दिल्ली की दो तिहाई जनता झुग्गी-बस्तियों और कच्ची कॉलोनियों में रहने को मजबूर है। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि दिल्ली की जनता, विशेषकर गरीब जनता के लिए आवास बनाने वाली डीडीए किस हद तक फेल हो चुकी है। बिना योजना के विकास का परिणाम यह हुआ है कि दिल्ली की कुछ कॉलोनियों को छोड़ दिया जाये तो अधिकांश निवासियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। पिछले 4 वर्षों में, डीडीए ने दिल्ली के लोगों की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए नए स्कूलों, कॉलेजों, क्लीनिकों, बस डिपो आदि के लिए ज़मीन देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली के पूर्ण राज्य बनने पर आम आदमी पार्टी का उद्देश्य एक समावेशी शहर बनाने का होगा जहाँ सभी नागरिक विश्व स्तरीय सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।

पूर्ण राज्य के बाद हम जो करेंगे

- **दिल्ली के प्रत्येक परिवार के पास अपना घर होगा:** आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल के भीतर दिल्ली के प्रत्येक परिवार के लिए पक्का मकान बनाएगी। डीडीए द्वारा अब तक सबसे अधिक उपेक्षित 25 फ़ीसदी शहरी गरीब वर्ग के लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
- **कच्ची कॉलोनियों को रेगुलराइज्ड करना:** आम आदमी पार्टी की सरकार एक साल के भीतर सभी कच्ची कॉलोनियों को रेगुलराइज्ड करने की दिशा में तत्काल कदम उठाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कच्ची कॉलोनियों के निवासियों तक भी सभी सार्वजनिक सेवाओं और सुविधाओं की पहुंच हो।
- **दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ियों पर बल प्रयोग और उन्हे दूर दराज के क्षेत्रों में भेजने पर प्रतिबंध:** पूर्ण राज्य के साथ, आम आदमी पार्टी 'दिल्ली स्लम पुनर्वास अधिनियम 2017' का कड़ाई से पालन करते हुए झुग्गी बस्तियों के दूर दराज के क्षेत्रों में निष्कासन पर रोक लगाकर उनके पुनर्वास को सुनिश्चित करेगी।
- **'जहां झुग्गी वहीं मकान'-** इस सिद्धान्त के तहत स्लम टाइटलिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, ताकि झुग्गियों में रहने वाले लोगों को उसी स्थान पर रहने का अधिकार दिया जा सके, जिससे उनके सामाजिक और आधिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- **दिल्ली में किराएदारों के लिए एक नयी योजना:** इस योजना के तहत छात्रों, कामगारों और दिल्ली के बाहर से आए हुए लोगों के लिए 'नई रेंटल नीति' बनायी जाएगी, ताकि उन्हें सीमित अवधि के लिए रहने की व्यवस्था हो सके।
- **विश्व स्तरीय रि-क्रिएशनल सेंटर एवं सामुदायिक केंद्रों की स्थापना:** हम दिल्ली के विभिन्न इलाकों में पार्क, पुस्तकालय, संग्रहालय, प्रदर्शनी केंद्र, आर्ट गैलरी, मनोरंजन केंद्र और सार्वजनिक स्थलों का निर्माण करेंगे, ताकि दिल्ली एक जीवंत और सांस्कृतिक शहर के प्रतीक के रूप में अपनी पहचान बना सके।
- **लोगों के साथ मिलकर योजना बनाना:** हम एक समावेशी शहर बनाएंगे जिसमें मोहल्ला स्तर पर व्यापक सार्वजनिक परामर्श के माध्यम से दिल्ली के लिए 'आम आदमी मास्टर प्लान' का मसौदा तैयार होगा। हम स्थानीय योजनाओं को मोहल्ला योजना के रूप में विकसित करेंगे। इस योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए प्रत्येक मोहल्ले में 'योजना निगरानी समितियों' की स्थापना की जाएगी।

सीलिंग से बचाव

केंद्र की भाजपा सरकार अध्यादेश लाकर सीलिंग की प्रक्रिया को रोक सकती थी, लेकिन वे इस सीलिंग के पक्ष में खड़े रहे जो कि दिल्ली के व्यापारिक समुदाय के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हुआ। आम आदमी पार्टी हमेशा दिल्ली के ईमानदार व्यापारियों के पक्ष में खड़ी रही और उनके लिए न्याय की मांग करती रही।

पूर्ण राज्य के बाद हम जो करेंगे

- ☐ **अब और सीलिंग नहीं:** नई सीलिंग पर रोक लगाएंगे। पिछले तीन वर्षों में सील की गई दुकानों के मामलों के आंकलन के लिए एक 'उच्च स्तरीय जांच समिति' का गठन करेंगे।
- ☐ **दिल्ली के बिल्डिंग बायलॉज़ को फिर से तैयार करेंगे:** AAP सरकार दिल्ली के बिल्डिंग बाय- लॉज़ को नए सिरे से बनाएगी और मौजूदा कॉमर्शियल स्पेस को पूर्ण रूप से उपयोग करने की अनुमति देगी। AAP सरकार कॉमर्शियल स्पेस को नियमित करने के लिए दिल्ली के मौजूदा वाणिज्यिक स्थानों का विस्तृत सर्वेक्षण कराएगी।
- ☐ **वाणिज्यिक/औद्योगिक संपत्तियों की आपूर्ति में वृद्धि:** AAP सरकार दिल्ली के सभी वार्डों में अतिरिक्त वाणिज्यिक स्थान बनाएगी और औपचारिक वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों में मौजूदा कमी को पूरा करेगी।
- ☐ **दिल्ली में मिश्रित उपयोग वाली सड़कों की अधिसूचना और नियमितीकरण:** AAP सरकार दिल्ली में वाणिज्यिक संपत्तियों का एक व्यापक सर्वेक्षण करेगी, जीआईएस मैपिंग और सरलीकृत फॉर्म सबमिशन और भुगतान के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके दिल्ली में मिश्रित उपयोग वाली सड़कों को चिन्हित करेगी।
- ☐ **मिश्रित उपयोग वाली सड़कों के आस-पास रहने वाले निवासियों को लाभ पहुँचाने के लिए पार्किंग की सुविधा और स्वच्छता सुनिश्चित करना:** नॉमिनल कनवर्ज़न चार्ज लगा कर, AAP यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक मिश्रित-उपयोग वाली सड़कों के आस-पास पार्किंग और सफाई के लिए प्रावधान हो, ताकि वाणिज्यिक गतिविधि से उन कॉलोनियों के निवासी प्रभावित न हों।
- ☐ **वार्षिक अनुपालन व्यवस्था:** सरकार प्रत्येक वार्ड की वार्षिक अनुपालन रिकॉर्ड तैयार करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी ताकि निरंतर निगरानी से पता लगाया जा सके कि वाणिज्यिक भूमि के उपयोग में मास्टर प्लान के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है या नहीं। जो नोडल अधिकारी अपनी इस ज़िम्मेदारी को ईमानदारी और सजगता के साथ नहीं निभाएंगे, उनके खिलाफ़ सख़्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

साफ़–सफाई

दिल्ली को स्वच्छ रखने के लिए 5 विभिन्न नगर निकायों की वैधानिक व्यवस्था है जो केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। वर्तमान में दिल्ली में प्रति दिन लगभग 14,000 टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से सिर्फ 70-80% ही इकट्ठा हो पाता है, जबकि शेष सड़क पर या खुले डंप में बिखरा हुआ होता है। नगर निकायों के स्वच्छता विभाग का प्रबंधन बेहद अव्यवस्थित है। साथ ही इनके पास ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कोई दीर्घकालिक योजना भी नहीं है। कु-प्रबंधन का स्तर इतना अधिक है कि यह समय पर अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने में भी विफल रहता है, जिसके कारण सफाई कर्मियों की अक्सर होने वाली हड़ताल से पूरा शहर डंपिंग ग्राउंड में बदल जाता है। पूर्ण राज्य के बाद नगर निगम दिल्ली सरकार के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह होगी।

पूर्ण राज्य के बाद हम जो करेंगे

- ☐ **दिल्ली को दुनिया के स्वच्छतम शहरों में शामिल करेंगे-** दिल्ली में नगर निकायों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण और जवाबदेही तय की जाएगी जिससे दिल्ली 5 साल के भीतर लंदन या सिंगापुर के समान दुनिया के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक बन जाएगी।
- ☐ **खुले ढलाव पर प्रतिबंध-** दिल्ली में एक साल के भीतर खुले 'ढलाव' पर प्रतिबंध लगाया जायेगा।
- ☐ **ठोस अवशिष्ट प्रबंधन क्षमता का विस्तार-** पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिये प्रति दिन लगभग 14,000 टन ठोस अपशिष्ट को इकट्ठा करने और संशोधित करने की क्षमता विकसित किया जायेगा।
- ☐ **अवशिष्ट प्रबंधन का विकेन्द्रीकरण-** सामुदायिक और पेशेवर संगठनों के साथ प्रबंधन में साझेदारी करने के लिए मोहल्ला स्तरीय अपशिष्ट संग्रह, अलगाव और खाद-इकाईयां स्थापित की जाएंगी।
- ☐ **डोर-टू-डोर कचरा संग्रह को प्रोत्साहन-** सभी घरों से डोर-टू-डोर कचरा संग्रह की एक प्रणाली स्थापित की जाएगी जिसके तहत सेग्रिग्रेटेड वेस्ट जमा करने वाले नागरिकों को फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाउचर देकर प्रोत्साहित किया जायेगा।
- ☐ **रात में सड़कों की सफ़ाई-** हम सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली की सभी सड़कें रात में ही साफ़ कर दी जाएं।

प्रदूषण

दिल्ली आज उच्च प्रदूषण स्तर के साथ पर्यावरणीय संकट का सामना कर रही है, जो स्वास्थ्य सुरक्षा की सीमाओं से काफी ऊपर है। मार्च 2018 में दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से लड़ने और दिल्ली के हरित आवरण को बढ़ाने के लिए 'ग्रीन बजट' के तहत एक व्यापक 26 सूत्रीय कार्य योजना की घोषणा की। पूर्ण राज्य बनने के बाद दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने में भूमिका निभाने वाली सभी एजेंसियों को नियंत्रित कर ज्यादा प्रभावी तरीके से प्रदूषण से निपटने की कार्य-योजना बनाएगी। चूँकि दिल्ली के प्रदूषण में दिल्ली से निकलने वाले उत्सर्जन का योगदान सिर्फ 30 फ़ीसदी है, बाकी का प्रदूषण बाहरी इलाकों से आता है। ऐसे में एक 'क्षेत्रीय एक्शन प्लान' की जरूरत है, जो फसलों के बाद पराली जलाने पर रोक लगा सके। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या का स्थाई समाधान के लिए ये अति-आवश्यक है।

पूर्ण राज्य के बिना हमने जो किया

- दिल्ली वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए एक प्रभावी आपातकालीन उपाय के रूप में ऑड-ईवन योजना को सफलतापूर्वक लागू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है।
- दिल्ली सरकार, दिल्ली में 1000 इलेक्ट्रिक बसों को लाने के लिए दृढ़ संकल्प है। यह चीन के बाद पूरे विश्व में किसी भी शहर में लागू की जाने वाली सबसे बड़ी योजना है। दिल्ली सरकार 'इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी' के नाम से एक प्रगतिशील मसौदा लेकर आई है, जिसका लक्ष्य अगले पाँच सालों में दिल्ली में रजिस्टर्ड कुल वाहनों की संख्या का 25 फ़ीसदी हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनों का है।
- बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप दिल्ली में ग्रीन कवर 2015 से अबतक लगभग 1100 हेक्टेयर बढ़ गया है।
- 26 लगातार चलने वाली एयर मॉनिटरिंग स्टेशनों के साथ, दिल्ली देश भर में सबसे बेहतरीन क्वालिटी का एयर मॉनिटरिंग नेटवर्क वाला शहर बन गया है। दिल्ली सरकार द्वारा एक विशेष एक्शन प्लान बनाया गया है, ताकि वायु की गुणवत्ता में गिरावट की स्थिति में वास्तविक समय में प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।
- ऊपर बताए गए महत्त्वपूर्ण कदमों को उठाने के कारण दिल्ली में औसत प्रदूषण का मान (पीएम 2.5 और पीएम 10) 2015 की तुलना में 20 फ़ीसदी तक घटा है।

पूर्ण राज्य के बाद हम जो करेंगे

- **सौ फ़ीसदी इलेक्ट्रिक बसें-** दिल्ली की सार्वजनिक बस सेवा को सौ फ़ीसदी इलेक्ट्रिक बसों के द्वारा चलाए जाने के लिए हर संभव क़दम उठाए जाएँगे।
- **सभी सड़कों की वैक्यूम क्लीनिंग-** दिल्ली की सड़कों पर वैक्यूम क्लीनिंग, (जो आज एमसीडी की जिम्मेदारी है) को एक साल के अंदर कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली की सड़कों पर धूल की मात्रा को कम करने के लिए लैंडस्कैपिंग और निरंतर रोड की धुलाई जैसे कदम भी उठाए जाएंगे।
- **निर्माण नियमों का अनुपालन-** दिल्ली में निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। डीपीसीसी और स्थानीय निकाय जिनका कार्य 'निर्माण और मलबा प्रबंधन अधिनियम 2016' के अंतर्गत नियमित निरीक्षण करना है, इन्हे निश्चित रूप से जिम्मेदार बनाने के लिये कड़े कदम उठाए जाएंगे।
- **जन-भागीदारी को प्रोत्साहन-** हर वार्ड में 'Clean-air Citizen Committees' बनाई जाएंगी जिसका कार्य होगा- नियमों का उल्लंघन करने वाले और रोड तथा निर्माण कार्यों से उठने वाली धूल की रिपोर्टिंग करना। समस्याओं का समाधान केंद्रीय स्तर पर किया जाएगा। कार्यवाही करने में असफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कदम उठाया जाएगा।

परिवहन

आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों को एक आधुनिक, विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा दिल्ली वालों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाना भी हमारी प्राथमिकता है। ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए जब हमने परिवहन में ऐतिहासिक निवेश करते हुए नई बसें लाने और दिल्ली मेट्रो फेज 4 के सभी 6 कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव पारित किया, तब बीजेपी की केंद्र सरकार ने सिर्फ तीन कॉरिडोर्स को ही मंजूरी देकर दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया। डीडीए द्वारा बस डिपो और टर्मिनलों के लिए कोई भी नई भूमि आवंटित करने से इनकार करने के कारण सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के विस्तार का कार्य गंभीर रूप से बाधित हुआ है। एमसीडी द्वारा सड़क अतिक्रमण को न हटाने और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात नियमों को सही से लागू करने में असफल रहने के कारण दिल्ली में जाम की समस्या बढ़ी है।

पूर्ण राज्य के बिना हमने जो किया

- आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में 4000 नई बसों की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके परिणामस्वरूप 2020 तक दिल्ली के कुल बसों की संख्या में 70% की वृद्धि होगी। जिसमें 1000 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं। यह चीन के बाद दुनिया के किसी भी शहर के लिए सर्वाधिक इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की प्रक्रिया है।
- दिल्ली देश का पहला ऐसा शहर है जो अपने नागरिकों को 'कॉमन मोबिलिटी कार्ड' की सुविधा देता है। इस एक कार्ड के द्वारा दिल्ली मेट्रो और दिल्ली की सभी बसों में निर्बाध रूप से यात्रा की जा सकती है।
- वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करते हुए दिल्ली सरकार ने बसों के रूट निर्धारण के लिए 'कनेक्ट दिल्ली' नाम से एक विशेष कार्यक्रम की शुरूआत की है।
- पिछले 4 सालों में किराया नहीं बढ़ने की वजह से दिल्ली की बसें सबसे सस्ती परिवहन सेवा बनकर उभरी हैं।
- दिल्ली सरकार ने निर्माण और यातायात की अड़चनों को दूर कर 6 प्रमुख पीडब्ल्यूडी सड़कों के पुनर्निर्माण और डिजाइन की पहल की है। जिससे पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों को पर्याप्त सुविधाएं मिली हैं।

पूर्ण राज्य के बाद हम जो करेंगे

- **दिल्ली मेट्रो के किराए को किफ़ायती करेंगे-** दिल्ली मेट्रो के किराए को किफ़ायती बनाया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों और छात्रों के लिए सस्ते दर पर पास उपलब्ध कराए जाएंगे।
- **एकीकृत परिवहन प्राधिकरण-** लंदन की तर्ज पर दिल्ली के संपूर्ण सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की योजना और पर्यवेक्षण के लिए 'एकीकृत परिवहन प्राधिकरण' बनाया जाएगा, जिसमें मेट्रो, बसें, साइकिल चालकों और पैदल यात्रियों के लिए सुविधाएं शामिल होंगी।
- **बस इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास-** 300 एकड़ से अधिक जमीन पर नए बस डिपो बनाए जाएंगे और बसों की कुल संख्या 5 साल के अंदर बढ़ाकर 16,000 कर दी जाएगी।
- **मॉडर्न बस टर्मिनल की स्थापना-** पूरी दिल्ली में मॉडर्न बस टर्मिनल की स्थापना की जाएगी, जो मेट्रो स्टेशन जैसे होंगे। इन टर्मिनलों को दुकानों और ऑफिसों से जोड़ा जाएगा, ताकि 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' सुनिश्चित की जा सके।
- **डी-कंजेस्ट दिल्ली-** सड़कों और गलियों को रि-डिज़ाइन करके उनको अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। ताकि ट्रैफ़िक सुचारु रूप से चल सके।
- **नॉन-मोटर परिवहन को प्रोत्साहित करना-** पैदल यात्रियों, दिव्यांगों और साइकिल से चलने वालों के लिए बाधा रहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था की जाएगी। इसे सभी सड़क एजेंसियों के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया जाएगा।
- **ट्रैफ़िक नियमों का सख़्ती से पालन-** आधुनिक तकनीक जैसे 'ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा और स्पीड कैमरा की मदद से ट्रैफ़िक रूल का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

यमुना का कायाकल्प

दिल्ली, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के उन चुनिन्दा शहरों में शामिल है, जो एक सदानीरा नदी यमुना के किनारे बसा है। जिसकी अपनी समृद्ध ऐतिहासिक-सांस्कृतिक विरासत रही है। यमुना को साफ़-सुथरा और स्वच्छ बनाकर न सिर्फ दिल्लीवासियों की ज़िंदगी को आत्मनिर्भर और गरिमापूर्ण बनाया जा सकता है, बल्कि नए रोज़गार के अवसर भी पैदा किए जा सकते हैं। यमुना की सफाई में एक से अधिक एजेंसियों और निकायों के शामिल होने की वजह से प्रशासनिक स्तर पर अवरोध की स्थिति बन गई है। पूर्ण राज्य होने के बाद यमुना की सफाई केंद्रीकृत और प्रभावी तरीक़े से की जा सकती है।

पूर्ण राज्य के बिना हमने जो किया

- ☐ यमुना की सफाई के लिए इंटरसेप्टर सीवर परियोजना का 92 फ़ीसदी काम पूरा कर लिया गया है।
- ☐ करीब 110 MGD गंदे नाले के पानी को यमुना में प्रवाहित होने से रोक लिया गया है, जिसे अब Sewage Treatment Plants के जरिये इस्तेमाल करने के लायक बनाने का काम किया जा रहा है।
- ☐ दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 'Yamuna Rejuvenation scheme' की शुरुआत की है, जिसके तहत यमुना में आने वाले गंदे पानी, ठोस कचरा और रिसाव से बचाव के इंतजाम किए जाएंगे। इसके लिए 2019-20 के बजट में 75 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

पूर्ण राज्य के बाद हम जो करेंगे

- ☐ **विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ तालमेल-** पूर्ण राज्य के बाद यमुना की सफाई में लगे तमाम निकायों, एजेंसियों और योजनाओं के साथ हम आधिकारिक तौर पर तालमेल बना सकते हैं। जिससे यमुना को अगले 10 साल के भीतर टेम्स (लंदन) और Cheonggyecheon (सिओल) की तर्ज़ पर साफ और स्वच्छ बनाया जा सकता है।
- ☐ **आकर्षक रिवर फ्रंट की स्थापना-** यमुना के किनारे 'रिवर फ्रंट डेवल्पमेंट' की योजना के तहत एक ऐसा गलियारा बनाएंगे जो न सिर्फ यमुना के इको-सिस्टम को बरकरार रखने में मदद करेगा, बल्कि दिल्लीवासियों और पर्यटकों के लिए आकर्षक सैरगाह बनेगा।
- ☐ **सिग्नेचर ब्रिज को पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करना-** सिग्नेचर ब्रिज के आस-पास के इलाकों को पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करेंगे। नए एम्युज़मेंट पार्क का विकास करेंगे।
- ☐ **अनाधिकृत निर्माण पर रोक-** यमुना के आस-पास अनाधिकृत निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी।
- ☐ **वॉटर फेरी सर्विस-** नए सार्वजनिक परिवहन के रूप में अगले 5 साल में 'वॉटर फेरी सर्विस' की शुरुआत करेंगे।
- ☐ **यमुना किनारे घाट-** यमुना के किनारे 50 घाट बनाए जाएँगे, जहां नियमित रूप से संध्या आरती का आयोजन होगा। साथ ही छठ पूजा के लिए सुविधाजनक घाट का इंतजाम किया जाएगा।

विश्व की प्रमुख राष्ट्रीय राजधानियों के साथ दिल्ली की तुलनाः

एक लोकतान्त्रिक त्रासदी

सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों द्वारा 1951 से पूर्ण राज्य की मांग करने के बाद भी कहा जाता है कि चूँकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है इसलिये दिल्ली की सरकार को पूरे राज्य की शक्तियाँ नहीं दी जा सकती हैं। हालाँकि अगर पूरे विश्व में लोकतांत्रिक देशों की राष्ट्रीय राजधानी की सरकारों से दिल्ली सरकार की शक्तियों की तुलना करें तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि भारत में राष्ट्रीय राजधानी की शासन व्यवस्था सबसे पिछड़ी है।

इस तालिका में, दिल्ली सरकार की शक्तियों की तुलना विश्व की चार बड़ी राष्ट्रीय राजधानियों - लंदन (यू.के.), बर्लिन (जर्मनी), मॉस्को (रूस), मेक्सिको सिटी (मेक्सिको) और दो छोटी राष्ट्रीय राजधानी शहरों - वॉशिंगटन डीसी (U.S.) और ओटावा (कनाडा) के साथ की गई है।

विश्व की प्रमुख राष्ट्रीय राजधानी के सरकारों की वर्तमान शक्तियों की दिल्ली से तुलना

कार्य	दिल्ली	लंदन	बर्लिन	मॉस्को	मेक्सिको सिटी	ओटावा	वॉशिंगटन डीसी
स्थानीय पुलिस	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानान्तरण	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ज़मीन और शहरी योजनायें	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
आवास	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
परिवहन योजनायें	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
स्थानीय निकायों पर नियंत्रण	✗	✓	✓	✓	✓	N.A.	N.A.

ऊपर की गई तुलना से यह स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार की शक्तियाँ अन्य बड़ी राष्ट्रीय राजधानियों की तुलना में एक अपवाद है। ये न सिर्फ जनता को बेहतर शासन और सुविधा देने में बाधक है, बल्कि भारतीय संविधान में निहित लोकतान्त्रिक मूल्यों के भी खिलाफ़ है।

पूर्ण राज्य का अब तक का सफ़र

- **1911-** दिल्ली ब्रिटिश इंडिया की राजधानी बनी। जिसे 1947 तक चीफ कमिश्नर द्वारा संचालित किया जाता रहा।
- **1947-** 'पट्टाभि सीतारमैय्या कमेटी' बनाई गई, जिसने सुझाव दिया कि दिल्ली को केंद्र के निर्देश पर नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन संचालित किया जाये।
- **1951-** श्री ब्रह्मप्रकाश दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने। इन्होंने पहली बार पूर्ण राज्य की मांग की।
- **1956-** दिल्ली विधानसभा भंग कर इसकी कमान फिर से लेफ़्टिनेंट गवर्नर को सौप दी गई।
- **1987-** 'बालकृष्णन समिति' ने सुझाव दिया कि दिल्ली में विधानसभा हो, जिसे ज़मीन, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर राज्य सूची से संबन्धित विषयों पर कानून बनाने का हक़ मिले।
- **1993-** भाजपा के श्री मदनलाल खुराना की चुनी हुई सरकार के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा का पुनर्गठन।
- **1998-** भाजपा के नेता श्री साहिब सिंह वर्मा द्वारा पूर्ण राज्य के लिए एक ड्राफ़्ट-बिल तैयार किया गया।
- **1999-** भाजपा के घोषणा-पत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का वादा।
- **2003-** तत्कालीन उप- प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने संसद में पूर्ण राज्य के लिए बिल पेश किया, जिसे प्रणव मुखर्जी के नेतृत्व वाली स्टैंडिंग कमिटी को रेफर किया गया।
- **2014-** लोकसभा चुनाव में भाजपा की दिल्ली इकाई ने दिल्ली के लिए एक अलग घोषणा-पत्र जारी किया, जिसमें दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का वादा किया।
- **2015-** भाजपा और कांग्रेस दोनों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के अपने-अपने घोषणा पत्र में दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का वादा किया।
- **2016-** आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए विधानसभा में बिल पास किया, जिसे अब तक केंद्र की भाजपा सरकार से मंजूरी नहीं मिली है।

पूर्ण राज्य के सवाल से बचने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों कभी केंद्र तो कभी दिल्ली विधानसभा में अपनी सरकार न होने को वजह बताते रहे। लेकिन ऐसे भी मौके आए, जब केंद्र और दिल्ली विधानसभा दोनों में एक ही दल की सरकारें थीं। यह मौका भाजपा और कांग्रेस दोनों को मिला। लेकिन दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्ज़ा दिलाने के मसले पर ये टालमटोल करते रहे, कोई ठोस कदम नहीं उठाए। आज भी इस मसले पर इन दोनों दलों का रुख़ दिल्ली को पूर्ण राज्य देने के हक़ में नहीं है।

आप

आम आदमी पार्टी

226, राउज एवेन्यू , दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली
फ़ोन : +91 9718500606, ईमेल: contact@aamaadmiparty.org
www.aamaadmiparty.org | फेसबुक: AamAadmiParty | ट्विटर @AamAadmiParty